

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0

प्रधान कार्यालय, 10 माल एवेन्यु लखनऊ

पत्रांक 67145 / निरीक्षण/2018-19

दिनांक: 8.8.18

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- निरीक्षण पत्र में इंगित बिन्दुओं की अनुपालन आव्याका प्रेषण।

नाबार्ड तथा मण्डल पर्यवेक्षकों द्वारा शाखाओं का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निरीक्षण किया जाता है, परन्तु शाखाओं से प्राप्त अनुपालन आव्याका के बिन्दुओं के अनुपालन में अधिकांशतः भविष्य के लिए नोट किया, प्रयास किया जा रहा है आदि का उल्लेख रहता है। इस प्रकार अनुपालन तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है तथा कतिपय बिन्दुओं का अनुपालन संक्षेप में भी भेजा जाता है, जो कि उचित नहीं है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण/ वीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं का भलीभौति परीक्षण कर विधिवत्, क्रमवार, समयान्तर्गत तथा टाइप प्रतियों में अनुपालन प्रेषित करें।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।


(शेशनानंद)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डल पर्यवेक्षक, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)प्रधान कार्यालय लखनऊ को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी